(48)

संख्याः–1503 / xx-1/11–53ब. / 2011

प्रेषक,

जे.पी. जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 14 सितम्बर, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–2012 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–छः–22 / 2011(39) दिनांक 27 अगस्त, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–209 / XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या 542 / xx-1/11–53ब. / 11 दिनांक 06 मई, 2011 एवं शासनादेश संख्याः 880 / xx-1/11–53ब. / 11 दिनांक 15 जुलाई 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न अधिष्ठानों हेतु अवचनबद्ध मदों में **तृतीय त्रैमास के लिए** आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु आयोजनेत्तर(राजस्व) पक्ष में संलग्न परिशिष्ट, के अनुसार मानक मदवार कुल **रूपये 1001.20 लाख (रूपये दस करोड़ एक लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अधिष्ठान के किसी भी मानक मद में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि आवंटित होने की स्थिति में प्राविधानित(अवशेष) धनराशि की सीमान्तर्गत ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसे शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम् से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार / दायित्व सृजित किया जाय।

3– धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी गई है वह आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण संकलित कर निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–17 पर शासन / वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः 2.....

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत सुनिश्चित किया जाय।

6– पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–451/xx-1/11–53ब./11 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–209 XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जे.पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोट्र्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव